(127)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2004—दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 4—1—2016 पारित द्वारा अधीक्षक भू—अभिलेख भूप्रबंधन सतना जिला सतना 05/अ—12/2015—16

1. जमुनाप्रसाद तिवारी पुत्र श्री शम्भूप्रसाद तिवारी
2. सोखीलाल तिवारी पुत्र श्री शम्भूप्रसाद तिवारी
   निवासी ग्राम कलवलिया

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. उमेन्द्रकुमार तिवारी
2. महेन्द्र कुमार तिवारी
3. अरूणेन्द्र तिवारी पुत्रगण श्री रामनरेश तिवारी
   ग्राम कलवलिया तहसील विरसिहपु
   जिला सतना म0प्र0

——— अनावेदकगण

....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक आवेदकगण
श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/07/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अधीक्षक भू—अभिलेख भूप्रबंधन सतना जिला सतना के आदेश दिनांक 04—01—2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 3 अरूणेन्द्र तिवारी ने मौजा कलबलिया तहसील बिरसिंहपुर स्थित भूमि आराजी कमांक 522/1 रकवा 0.081 है0 भूमि के सीमांकन कराने हेतु संहिता की धारा 129 के

तहत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू—अभिलेख भू—प्रबंधन सतना के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीक्षक भू—अभिलेख भू—प्रबंधन सतना ने प्रकरण कमांक 05 / अ—12 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 4—1—16 के द्वारा सीमांकन आदेश पारित किया। इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3 / उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अधीक्षक भू—अभिलेख भूप्रबंधन सतना जिला सतना ने प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को सरहदी काश्तकारों को पूर्व सूचना उपरांत सीमांकन कार्य सम्पादन करने के निर्देश दिये। राजस्व निरीक्षक ने विधिवत सभी काश्तकारों को पूर्व सूचना प्रदान की गई है तथा सभी सरहदी कारतकारों की उपस्थिति में सीमांकन करने के उपरांत नजरी नक्शा, फील्डबुक, स्थल पंचनामा तैयार करने के उपरांत प्रतिवेदन अधीक्षक भू—अभिलेख भूप्रबंधन सतना जिला सतना को प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसपर अधीक्षक भू—अभिलेख भूप्रबंधन सतना जिला सतना ने आदेश दिनांक 04—1—16 के द्वारा आपत्ति का विस्तार से विवेचना उपरांत निराकरण कर निरस्त की है तथा सीमांकन की पुष्टि की है। आवेदक का यदि रकबा कम हुआ है तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। अधीक्षक भू—अभिलेख भू—प्रबंधन सतना जिला सतना द्वारा पारित सकारण आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

4 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निगरस्त की जाती है। अधीक्षक भू—अभिलेख भूप्रबंधन सतना जिला सतना का आदेश दिनांक 04—1—2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर